नवीन जिला न्यायालय भवन की मशीन द्वारा साफ–सफाई, गार्डनिंग, वॉचमैन, लिफटमैन आदि की निविदा कमाक 6340 दिनांक 17.12.2025 के पालन में आज दिनांक 05.01.2026 को कय समिति की मीटिंग विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) रीवा के विश्राम कक्ष में शायं 5.00 बजे आहूत की गई। मीटिंग में श्री सुरेन्द्र कुमार अध्यक्ष, कय समिति, श्री यशपाल सिंह, सदस्य कय समिति, श्रीमती शिवानी शर्मा, सदस्य कय समिति उपस्थित रहे।

वर्तमान में कय समिति के सदस्य श्री अशरफ अली, तत्कालीन 19वे जिला न्यायाधीश एवं श्री इन्द्रीश कुमार मिश्र, उप प्रशासनिक अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो चुका है।

प्री–बिडिंग मीटिंग में विकम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, राइजिंग इन्फ्राएसोसियेट लिमिटेड एवं अदिति इलेक्ट्रिकल्स जबलपुर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा उपस्थित निविदाकारों के हस्ताक्षर उपस्थिति सीट पर लिये गये।

विकम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड भोपाल एवं राइजिंग इन्फ्राएसोसियेट लिमिटेड रीवा द्वारा अपने–अपने अथारिटी लेटर प्रस्तुत किये गये, जबकि अदिति इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कोई अथारिटी लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपस्थिति निविदाकारो की ओर से प्री–बिडिग मीटिग मे उठाये गये प्रश्नो का निराकरण निम्न तलिका के अनुसार किया जा रहा है।

स0क0	प्रस्तावित निविदाकार का नाम	प्रश्न	निराकरण
1	विकम सिक्योरिटी प्रा0लि0 भोपाल	मात्र प्री–बिड मीटिंग में भाग लेने वाले को टेंडर प्रकिया में भाग लेने दिया जाये।	प्री–बिड मीटिंग में मात्र वे ही प्रस्तावित निविदाकार भाग लेते है जिन्हे निविदा दस्तावेज में संशय हो। इसलिए प्रि–बिड मीटिग में भाग न लेने वाले इच्छुक निविदाकारों को निविदा प्रकिया से पृथक नहीं रखा जा सकता है।
2	राइजिंइ इन्फ्राएसोसियेट रीवा	1. क्या निविदकार को अनुबंध के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ई.एस.आई., वं ई.पी.एफ. का अनुदान देना अनिवार्य होगा?	हॉ, ई.एस.आई., ई.पी.एफ. के साथ अन्य सभी वैधानिक देयताओं का भुगमान किया जाना सफल निविदाकार के लिए आवश्यक होगा।

06/01/2026

06.01.2026

3	राइजिंइ इन्फाएसोसियेट रीवा	2. क्या मैन पॉवर सप्लाई में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम 3.85 प्रतिशत सर्विस चार्ज कोट किया जाना अनिवार्य है?	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन कमाक एफ–6/1/2023–पीपडी दिनांक 23.06.2023 एवं 06.01.2023 के अनुसार मात्र मैन पॉवर सप्लाई मे 3.85 प्रतिशत न्यूनतम सर्विसचार्ज का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान निविदा में मैनपॉवर सप्लाई के साथ–साथ मैकेनिकल क्लीनिंग सेवाएं भी सम्मिति है जिसमे मशीनरी कय किया जाना, नियमित रूप से साफ–सफाई सामग्री का व्यय आदि भी उपगत होगा। इसलिए न्यूनतम या अधिकतम सर्विस चार्ज की कोई बाध्यता इस निविदा के अधीन नहीं आयेगी।

अतः समिति के सभी सदस्य सह उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत है और प्रस्ताव अनुमोदन हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष अग्रेषित किया जाये। अनुमोदन पश्चात माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट, जिला न्यायालय की वेबसाइट एवं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

06.01.2026
श्री सुरेन्द्र कुमार
अध्यक्ष

स्थानांतरित
श्री अशरफ अली
सदस्य

06/01/2026
श्री यशपाल सिंह
सदस्य

06/01/26
श्रीमती शिवानी शर्मा
सदस्य

स्थानांतरित
श्री इन्द्रीश कुमार मिश्र
सदस्य

Seen
6.1.26